27

सेवा में,

श्रीमान् निदेशक /जन सूचना अधिकारी,

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कल्याणपुर कानपुर।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में:-

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी राजीव दूबे ग्राम – गोपीनाथपुर पो० बरुआ तहसील कादीपुर– सुलतानपुर का स्थायी निवासी है। आप की संस्था में दिनांक 07/02/1991 से फर्जी दस्तावेज दाखिल करके नौकरी प्राप्त किया है। के सम्बन्ध में प्रार्थी को जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की कृपा करें।

1:- सी०सी०एस०, सी०सी०ए० रूल 1965 क्या है स्पष्ट करें।

2:- निदेशक के ऊपर उच्च अधिकारी कौन है नाम पता का उल्लेख करें।

3:- अखिलेश ने झूठ शपथ के गलत प्रमाण पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में विभागीय जाँच समिति द्वारा उनकी जन्मतिथि 10/01/1964 के स्थान पर 04/01/1960 कर दी गयी तथा 04/01/1960 के हिसाब से उनकी नियुक्ति वैध है कि नहीं।

4:- अखिलेश का वेतन निकलता है विभागीय जाँच अधिकारियों द्वारा जाँच में 10/01/1964 के स्थान पर 04/01/1960 कर दी गयी है जो प्रथम दृष्टया फर्जी एवं कूटरचित साबित होता है तब भी आज तक अखिलेश को निलम्बित किया गया और नहीं उसका वेतन रोका गया है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर समय अवधि के अन्दर सूचना उपलब्ध कराये जाने की कृपा की जाय।

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क

पो० आ० नं० 25एफ-722649, रेखांकित

प्रार्थी

राजीव दूबे पुत्र श्री दयानन्द दूबे

ग्राम –गोपीनाथपुर पो० पंडित

तह० कादीपुर जिला–सुलतानपुर

मो० नं० 9370275713,

दि० 05/06/15

RTI MATTER / SPEED POST

(38)

सं.25(52)/2015/RTI/9

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्थान

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

भारत सरकार

फोन : 0512-2570542,543

फैक्स : 0512-2570247

ई-मेल : nsikanpur@nic.in

कानपुर, दिनांक: ०८.०७.२०१५

जारी
संख्या 347
दिनांक 29/7/2015

सेवा में,

श्री राजीव दूबे पुत्र श्री ध्यानचंद्र दूबे,
नि० ग्राम गोपीनाथपुर,
पो०आ०-बरूआ उत्तरी,
जनपद -सुल्तानपुर (उ०प्र०)।

विषय-सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के तहत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया जनसूचना अधिकार अधिनियम २००५ के तहत अपने पत्र दिनांक ०५-०६-२०१५ का सन्दर्भ लें।

आपके बिंदु सं. १ के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि सी सी एस (सी सी ए) रूल्स का अभिप्राय सेंट्रल सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स, १९६५ से है, जिसके अंतर्गत किसी भी केंद्रीय कर्मचारी का आचरण नियमित किया जाता है. इन रूल्स को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारी के आचरण को नियमित करने के लिए जारी किये गए है.

बिंदु सं.२ के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपूर विभागाध्यक्ष है. संस्था खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय का सबोर्डिनेट कार्यालय है. ऊपर उच्चाधिकारी संयुक्त सचिव (शर्करा प्रशासन) , खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली - ११०००१ है

बिंदु सं. ४ के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि संस्था के सभी कर्मचारियों के वेतन संबंधी सूचना संस्था के वेबसाइट पर सूचना का अधिकार के अंतर्गत mandatory disclosure में उपलब्ध है, एवं वेबसाइट का link http://nsi.gov.in/RTIact_2005.htm है (प्रतिलिपि संलग्न है).

बिंदु सं.३ और ४ के उर्वरित अंश के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि मांगी गई जानकारी में सूचना की व्याख्या की अपेक्षा है जो जनसूचना अधिकार की परिभाषा में नहीं आती। इसके अलावा आपके द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के संदर्भ में यह पुनः सूचित किया जाता है कि जनसूचना अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं होता कि ऐसी जानकारी प्रदान करें जिसमें निष्कर्ष अथवा अनुमान निकालने की

(57)

धारणा बनाने की अथवा सूचना की विवेचना करने की अथवा आवेदक द्वारा स्थगित समस्याओं का समाधान करने की अथवा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता हो।

अधिनियम के तहत यह भी आवश्यक नहीं कि जनसूचना अधिकारी उपलब्ध सामग्री से कुछ निर्णय/निष्कर्ष निकाल लें और आवेदक को ऐसे निकाले गये निर्णय/निष्कर्ष उपलब्ध करा दें।

उपरोक्त के मद्देनजर एवं आपके द्वारा उठाये गये मुद्दे पर दूसरी जांच एजेंसियों से प्राप्त होनेवाली आख्याओं पर निर्भर रहेगी। अतः मांगी गयी सूचना, आज की तिथि में अनुपलब्ध मानी जाय। यह सूचना देने का निर्णय जांच पूरी होने के उपरांत ही लिया जा पायेगा।

अतः जहाँ तक जाँच की अंतर्वस्तु का संबंध है यह जनसूचना अधिकार अधिनियम, २००५ के अनुच्छेद-8(1)(e),(h) एवं (j) के तहत देने की बाध्यता नहीं है और वांछित विवेचन/व्याख्या जनसूचना अधिकार के तहत देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यह कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त दी गई सूची से संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से ३० दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं :-

श्री नरेन्द्र मोहन
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
कानपुर - २०८०१२.

भवदीय,

8/7/15

(राकेश शुक्ला)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी